न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–आपूर्ति अपील वाद सं0–14/2009–10 मो0 ईयाज खॉ नियाजी बनाम राज्य

23/13

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
10.10.2017	*आदेश* दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 6.11.12 के आलोक में मो0 ईयाज खॉ नियानी पिता–स्व0 अहिया खान, ग्राम–सलिमनगर पो0+थाना–महेशखूँट जिला–खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील में उल्लेख किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 66 दिनांक 29.01.2009 के द्वारा अपीलार्थी से माह अक्टूबर, 08 एवं दिसम्बर, 08 तक का बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के खाद्यान का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करने के कारण खाद्यान व्ययगत हो जाने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गयी और स्पष्टीकरण पत्र लेने से इंकार किया गया जिसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 41 दिनांक 14.02.2009 से बिना अवसर दिये उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि अपने 11 माह की गंभीर रूप से बीमार पुत्री का दिनांक 06.08.08 से 15.12.08 तक इलाज कराने तथा AIIMS रेफर कर दिये जाने के कारण व्यस्त रहा। गंभीर रूप से बीमार पुत्री की मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें गंभीर सदमा लगा। इसके बाद वे लीवर एवं पेट के दर्द के कारण डा0 जमशेद (बेगूसराय) से इलाज कराया चिकित्सक द्वारा 20 दिनों तक कम्पलीट बेड रेस्ट करने की सलाह दी गयी। जिसके कारण माह अक्टूबर, 2008 से दिसम्बर 2008 तक बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं कर सका। अपीलार्थी द्वारा उक्त के आलोक में अपील को स्वीकार कर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 41 दिनांक 14.02.2009 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गोगरी प्रखंड अन्तर्गत झिकटिया पंचायत के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता मो0 एजाज खॉ नियाजी अनुज्ञप्ति संख्या–53 जी0/07 द्वारा माह अक्टूबर, 08 से दिसम्बर, 08 तक का बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजनाओं के उपावंटित खाद्यान की कीमत का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करने के कारण खाद्यान व्ययगत हो गया जिसके कारण कूपनधारी लाभूकों को खाद्यान से वंचित रहना पड़ा। इस सम्बन्ध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 66/गो0 दिनांक 29.01.2009 एवं ज्ञापांक 19 दि0 04.02.2009 द्वारा बिक्रेता से स्पष्टीकरण की	

मांग की गयी। लेकिन बिक्रेता द्वारा पत्र लेने से इंकार किया गया, जो अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का उल्लंघन पाया गया और उक्त आरोप पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 41 दिनांक 14.02.2009 से बिक्रेता का अनुज्ञप्ति संख्या–53 जी0/07 को रदद कर दिया गया।

अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में दिनांक 06.10.2017 को सूचना प्रकाशित कराया गया। फिर भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए।

अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है तथा कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बिक्रेता से अक्टूबर, 08 एवं दिसम्बर, 08 तक का बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के खाद्यान का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करने के कारण खाद्यान व्ययगत हो जाने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गयी और बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण का पत्र लेने से इंकार किया, जो अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का घोर उल्लंघन है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गागरी द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बिक्रेता से मांगे गये स्पष्टीकरण संबंधी पत्र लेने से इंकार करने के सम्बन्ध में कोई भी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। उनका यह कहना कि 11 माह के गंभीर रूप से बीमार पुत्री के इलाज में व्यस्त रहे जिसके कारण अक्टूबर, 08 एवं दिसम्बर, 08 तक का बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के खाद्यान का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं कर सके, स्वीकार योग्य प्रीतत नहीं होता है। क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी, गागरी के ज्ञापांक 66/गो0 दिनांक 29.01.2009 एवं ज्ञापांक 19 दि0 04.02.2009 द्वारा बिक्रेता से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो तथाकर्थित वर्णित इलाज की तिथि के बाद के तिथि का है। यदि ऐसी बात थी तो अनुमंडल पदाधिकारी, गागरी द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण संबंधी पत्र को प्राप्त कर उसका जबाव देना चाहिए था। लेकिन इनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण संबंधी पत्र लेने से इंकार किया गया। बिक्रेता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जबाव सनर्पित नहीं करना अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का घोर उल्लंघन है। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से भी यह प्रमाणित होता है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 41/दिनांक 14.02.09 द्वारा बिक्रेता के अनुज्ञप्ति रद्द सम्बन्धी पारित आदेश को यथावत रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

समाहर्त्ता,
खगड़िया

(2)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

डी0 बी0 नं0.....435...../विधि, दिनांक.....13/11/2017.....

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

16/11/17

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।